(30)

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3

संख्या बी-3 4037/दस-79-2 (41)-77-मो0 स0

लखनऊ, 17 अक्तूबर, 1979

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य कर्मचारियों को देय अग्रिमों पर निर्धारित ब्याज की दरों से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या बी-3-1419/दस-5-65, दिनांक 2 अगस्त, 1974 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत हेतु चालू वित्तीय वर्ष (1979-80) में स्वीकृत होने वाले अग्रिमों पर ब्याज की दरें निम्नलिखित प्रकार होंगी:--

(1) प्रथम 25,000 रु0 के लिये 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

(2) अगले 25,000 रु0 यानी 25,001 रु0 से 50,000 रुपये के लिये 11 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष

(3) अगले 20, 000 रु0 य.नी 50,001 रु0 से 70,000 रु0 के लिये 13 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ।

किन्तु नियत समय पर ऋण/ब्याज के प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में 3 1/2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। अपेक्षाकृत अधिक ब्याज वाले अग्रिम का समायोजन पहले किया जायेगा ।

2--मोटर कार/मोटर साइकिल/स्कूटर तथा बाइसकिल पर अग्रिमों पर देय ब्याज की दरों के सम्बन्ध में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे ।

सचिवालय के समस्त अनुभाग

डी0 एन0 दवे;
उप सचिव ।

संख्या बी-3-4037 (1)/दस-79-2 (41)-77 मो0 स0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) समस्त विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यालयों के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

आज्ञा से;

डी0 एन0 दवे;
उप सचिव ।